



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938

No. 432]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 476(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 13 जनवरी, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 'ख' में, 'अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में' शीर्ष के अधीन,—

(क) मद संख्या (i) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(i) श्री भोला सिंह,
संसद् सदस्य (लोक सभा)”;

(ख) मद संख्या (iii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(iii) श्री अमर शंकर साबले,
संसद् सदस्य (राज्य सभा)”।

[फा.सं. 19014/66/13-एससीडी-IV]

आइन्दी अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 605(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 और का.आ. 2008(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment, dated the 13th January, 2014, namely vide number S.O. 89(E), dated the 13th January, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii):—

In the said notification, in paragraph B, under the heading 'In pursuance of clause (f) of sub-section (2) of section 29 of the Act',—

- (a) For item number (i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted, namely:—

“(i) Shri Bhola Singh,
Member of Parliament (Lok Sabha)”;

- (b) For item number (iii) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted, namely:—

“(iii) Shri Amar Shankar Sable,
Member of Parliament (Rajya Sabha)”

[F. No. 19014/66/13-SCD-IV]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 89 (E), dated the 13th January, 2014 and subsequently amended vide number S.O. 605 (E), dated the 28th February, 2014 and number S.O. 2008(E), dated the 7th August, 2014.